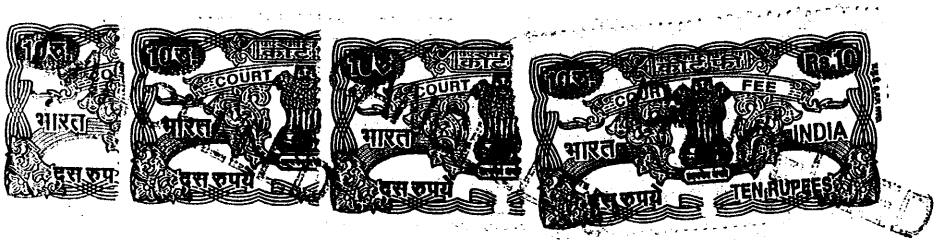

- 1 -

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प जबलपुर

पुनरीक्षण क्रमांक ———/2015

पुनरीक्षणकर्ताः— मुकेश मिश्रा पिता स्व देवीशंकर मिश्रा, निवासी वार्ड नं—2 नैनपुर तहसील एवं जिला नैनपुर म.प्र.

विरूद्ध

उत्तरार्थीगणः— 1— अनुविभागीय अधिकारी नैनपुर जिला—मण्डला

2— कलेक्टर मण्डला जिला मण्डला

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय कलेक्टर मण्डला के आदेश दिनांक 24/8/2015 प्रकरण कमां 71(ए—21)/12—13 से से क्षुब्ध होकर निम्नलिखित पुनरीक्षर्ण प्रस्तुत करता हैः—

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित निवेदन करता है कि :—

1— यह कि, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा न्यायालय कलेक्टर के समक्ष अपने स्वामित्व की भूमि जो कि खसरा नं 355/107, रकवा 0.008 हे. वार्ड नं—2 नैनपुर में स्थित है के विकय की परमीशन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया उपरोक्त आवेदन म.प्र. भू—राजस्व संहिता की धारा 165 (6—क) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया गया ।

2— यह कि, उपरोक्त आवेदन पत्र कुछ व्यक्तियों द्वारा विकय में आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसकी जांच अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कराई गई व यह पाया गया कि उपरोक्त भूमि पर आपत्तिकर्ताओं द्वारा भवन निर्माण सामग्री रखी गयी है व उनके द्वारा किसी प्रकार की बही, पटटा या भूमि से संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

3— यह कि, कलेक्टर महोदय ने धारा 165(6—क,ख) के प्रावधानों का अवलोकन किये बिना मात्र इस आधार पर कि भूमि में स्वत्व का मामला निहित है विकय हेतु अनुमति प्रदान नहीं की जो कि विधि विपरीत है । कलेक्टर महोदय का आदेश दिनांक 24/8/2015 सलग्न है प्रदर्श

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 128–एक/16 . जिला – मंडला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.1.17	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, मंडला के प्रकरण कमांक 71/अ–21/12–13 में पारित आदेश दिनांक 24–8715 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 165(6–क) के तहत अधीनस्थ न्यायालय में अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 355/107 रकबा 0.008 के विक्रय हेतु आवेदन पेश किया गया । उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच कर प्रतिवेदन हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को भेजा । अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण तहसीलदार को भेजा । तहसीलदार ने जांच कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रेषित किया। कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही के दौरान आपत्तिकर्ता शहजाद द्वारा आपत्ति पेश की गई । आलोच्य आदेश द्वारा कलेक्टर ने यह मानते हुए कि प्रकरण में स्वत्व का मामला है आवेदक का आवेदन निरस्त किया । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को प्रकरण में सुनवाई तिथि को 10 दिवस का समय लिखित बहस पेश हेतु समय दिया गया था परंतु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के आधार	

R. 128. I/16 (पठानकोट)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पर किया जा रहा है । 4/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया । कलेक्टर द्वारा अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदिक द्वारा विक्रय हेतु आवेदित भूमि पर आपत्तिकर्ता का कब्जा है तथा उसे उक्त भूमि निजी निस्तार हेतु प्रदाय की गई थी । अनुविभागीय अधिकारी ने भी अपने प्रतिवेदन में आपत्तिकर्ता द्वारा आवेदित भूमि पर भवन निर्माण से संबंधित सामग्री रखे जाने की बात कही गई है । उक्त आधार पर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न मानते हुए आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों एंव अभिलेख वापिस हो । सदस्य	